

[2011] 9 एस. सी. आर 540

मेसर्स यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(2011 की दीवानी अपील सं. 5996)

27 जुलाई 2011

[डॉ. मुकुंदकम शर्मा और अनिल आर. दवे, न्यायमूर्तिगण]

बिक्री कर - बिहार वित्त अधिनियम, 1981 को बिहार बिक्री कर नियम, 1983 के साथ पठित- निर्धारण वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के अंतर्गत मूल्यांकन कार्यवाही - करदाता-अपीलकर्ता से उसके उत्पाद - इसे विद्युत सामान मानते हुए वैक्यूम क्लीनर पर 12% की दर से कर लगाया गया था, जबकि अपीलकर्ता का तर्क था कि वैक्यूम क्लीनर 8% की दर से कर योग्य है - क्या वैक्यूम क्लीनर एक विद्युत सामान या उपकरण है और इसलिए, यह बिहार वित्त अधिनियम - बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1959 की धारा 12 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 26-12-1977 की प्रविष्टि 81 के अंतर्गत आता है और इस प्रकार 12% की दर से कर योग्य है - निर्णय: उक्त अधिसूचना की प्रविष्टि 81 में प्रावधान है कि विद्युत सामान, उपकरण, उपकरण और उपकरणों पर 12% कर 1-4-1982 से प्रभावी रूप से लगाया जाएगा। हालाँकि, जब इसमें विद्युत वस्तुओं का उल्लेख किया जाता है, तो यह एक समावेशी विवरण प्रतीत होता है - वैक्यूम क्लीनर एक मशीनरी है जो बिजली से चलती है और इसलिए, एक विद्युत वस्तु है - इसे किसी भी तरह से प्रविष्टि 81 के दायरे और परिधि से बाहर नहीं रखा गया है जैसा कि प्रविष्टि 81 की सामग्री को पढ़ने से स्पष्ट है -अपीलकर्ता की यह दलील कि चूँकि वैक्यूम क्लीनर प्रविष्टि 81 में विशेष रूप से शामिल नहीं है, इसलिए इसे बहिष्कृत माना जाना चाहिए, इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार नहीं की जा सकती कि उक्त प्रविष्टि में शामिल किसी भी विद्युत सामान, उपकरण, उपस्कर

का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और यदि उस व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो सभी विद्युत सामानों को बहिष्कृत करना होगा क्योंकि उनका उसमें विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है- अधीनस्थ विधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय अधिसूचना निर्माताओं का यह इरादा नहीं हो सकता है - यदि ऐसी व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है, तो संपूर्ण प्रविष्टि 81 निरर्थक हो जाएगी।

फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अन्य आदि आदि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य आदि आदि, (2000) 6 एससीसी 550: 2000 (2) अनुपूरक एससीआर 151; यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2000 (119) एसटीसी 460 (पेटेंट) और इंडियन नेशनल शिपऑनर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ (यूओआई) सचिव, राजस्व विभाग के माध्यम से,

वित्त मंत्रालय भारत सरकार और अन्य, 2009 (14) एसटीआर 289 (बम्बई) - विशिष्ट।

नजीर संदर्भ:

2000 (2) पूरक एस. सी. आर. 151	विशिष्ट	कंडिका 15
2000 (119) एस. टी. सी. 460 (पटना)	विशिष्ट	कंडिका 15
2009 (14) एस. टी. आर. 289 (बम्बई)	विशिष्ट	कंडिका 15

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2011 की दीवानी अपील सं.5996

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 1351/2008 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 26.02.2010 के निर्णय एवं आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से एस. बी. सान्याल, आलोक कुमार।

उत्तरदाताओं की ओर से गोपाल सिंह, रुद्रेश्वर सिंह।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया था

आदेश

1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान मामला अपीलकर्ता के कर निर्धारण वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 से संबंधित है।

3. बिहार वित्त अधिनियम, 1981 और बिहार बिक्री कर नियम, 1983 के अंतर्गत कर निर्धारण कार्यवाही शुरू की गई। अधिनियम की धारा 17(2)(क) के अंतर्गत करदाता को लेखा पुस्तकों की जाँच हेतु नोटिस जारी किए गए। उक्त लेखा पुस्तकें प्रस्तुत की गईं और अधिनियम की धारा 17(2)(ख) के अंतर्गत कर निर्धारण आदेश पारित किए गए। उक्त कर निर्धारण आदेश में, करदाता से वैक्यूम क्लीनर को विद्युत वस्तु मानते हुए 12% की दर से कर लगाया गया, जबकि अपीलकर्ता का तर्क था कि वैक्यूम क्लीनर, जो अपीलकर्ता द्वारा प्रयुक्त एक वस्तु है, 8% की दर से कर योग्य है।

4. कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश द्वारा करदाता के उपरोक्त तर्क को खारिज कर दिया और यह माना कि करदाता वैक्यूम क्लीनर पर 12% की दर से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त निष्कर्षों और कर निर्धारण आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने अपील दायर की, जिन पर विचार किया गया और उक्त अपीलों को खारिज करते हुए उनका निपटारा किया गया।

5. अपीलों में पारित उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, करदाता ने वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया। 15.4.2004 को पारित आदेश द्वारा, न्यायाधिकरण ने उक्त पुनरीक्षण आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वैक्यूम क्लीनर एक विद्युत वस्तु या उपकरण है और इसलिए, यह बिहार वित्त अधिनियम-बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1959 की धारा 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 26.12.1977 की प्रविष्टि 81 के अंतर्गत आता है।

6. न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.2.2010 के निर्णय और आदेश द्वारा पुनः खारिज

कर दिया था, जिसके विरुद्ध यह अपील दायर की गई थी।

7. हमने इस अपील में पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, जिन्होंने हमें अभिलेखों का अवलोकन कराया है। उनके तर्कों और अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर, हम अपने तर्क दर्ज करके इस अपील का निपटारा करने का प्रस्ताव करते हैं।

8. विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या वैक्यूम क्लीनर को उत्तरदाताओं द्वारा धारा 12 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 26.12.1977 की प्रविष्टि 81 में शामिल किया जा सकता है।

9. उक्त अधिसूचना की प्रविष्टि 81 इस प्रकार है:-

"81. विद्युत सामान, उपकरण, यंत्र और उपस्कर जिनमें विद्युत पंखे और प्रकाश बल्ब, विद्युत मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी के बर्तन और विद्युत मोटर, ड्राई सेल बैटरी, टॉर्च, टॉर्च बल्ब, एग्जॉस्ट पंखे, एयर सर्कुलेटर, और स्पेयर पार्ट्स और सहायक उपकरण, सभी प्रकार के विद्युत हीटर शामिल हैं।"

10. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि विशेष वस्तु, अर्थात् वैक्यूम क्लीनर, जो 'अपीलकर्ता द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान प्रयुक्त की जाने वाली वस्तु है, को प्रविष्टि 81 के दायरे और परिधि में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उक्त वस्तु का उपरोक्त प्रविष्टि में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.बी. सान्याल ने उत्तरदाताओं द्वारा 26.7.2000 को जारी की गई बाद की अधिसूचना का भी हवाला दिया। उन्होंने हमारा ध्यान उक्त अधिसूचना की विषय-वस्तु और विशेष रूप से क्रम सं. 247 की ओर आकर्षित किया है, जहाँ वैक्यूम क्लीनर का विशेष रूप से 12% की दर से देय बिक्री कर के साथ उल्लेख किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि 2000 की बाद की अधिसूचना में, वैक्यूम क्लीनर को विशेष रूप से क्रम सं.247 बिक्री कर की दर 12% निर्दिष्ट करते हुए के अंतर्गत बताया गया है, यह मान लिया जाना चाहिए कि पूर्वोक्त वैक्यूम क्लीनर, जिसका प्रविष्टि 81 के अंतर्गत पूर्व अधिसूचना में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, एक अनिर्दिष्ट वस्तु

होने के कारण 8% कर के प्रयोजन हेतु उत्तरदायी होगा। हमने अभिलेखों के आलोक में उक्त प्रस्तुतियों पर विचार किया है। प्रविष्टि 81, जिसका हमने ऊपर उद्धरण दिया है, में प्रावधान है कि विद्युत वस्तुओं, उपकरणों, यंत्रों और उपकरणों पर 1.4.1982 से 12% कर लगाया जाएगा। हालाँकि, जब यह विद्युत वस्तुओं की बात करता है, तो हमें यह एक समावेशी विवरण प्रतीत होता है क्योंकि यह शब्द पर जोर देता है 'विद्युत पंखे और प्रकाश बल्ब आदि सहित' और फिर से यह विद्युत मोटर, ड्राई सेल बैटरी आदि को अपने दायरे से बाहर रखता है।

11. अधिनियम की धारा 12 का संदर्भ भी स्थिति को स्पष्ट कर देगा क्योंकि धारा 12 के प्रावधान में कहा गया है कि राज्य सरकार ऐसे सामान या सामान के वर्ग या सामान के विवरण को निर्दिष्ट करके आठ प्रतिशत से अधिक दर तय करने वाली अधिसूचना जारी कर सकती है। इसलिए, धारा 12 के तहत अधिसूचना जारी करके, राज्य सरकार द्वारा सामान के एक वर्ग या उसमें विशेष रूप से उल्लिखित सामान पर 8% से अधिक की दर लगाई जा सकती है। उपरोक्त स्थिति अधिक स्पष्ट होगी जब हम 1977 की उसी अधिसूचना की प्रविष्टियों 116 और 127 को देखेंगे जिसमें प्रविष्टि 116 द्वारा, रेफ्रिजरेटर, एयर-कंडीशनर, एयर-कूलर और एयर-कंडीशनिंग प्लांट आदि जैसी वस्तुओं को कर की उच्च दर लगाकर प्रविष्टि 81 के तहत "विद्युत सामान" से बाहर कर दिया गया है।

12. अपीलकर्ता द्वारा प्रयुक्त वैक्यूम क्लीनर एक विद्युतीय वस्तु है, इस पर कोई विवाद नहीं है, क्योंकि विशेष अनुमति याचिका में ही अपीलकर्ता ने कहा है कि वैक्यूम क्लीनर एक ऐसी मशीनरी है जो विद्युत से चलती है। इसलिए, यह दोनों पक्षों की सहमति और एकमत मामला है कि वैक्यूम क्लीनर एक विद्युतीय वस्तु है। उक्त वैक्यूम क्लीनर किसी भी तरह से प्रविष्टि 81 के दायरे और परिधि से बाहर नहीं है, जैसा कि प्रविष्टि 81 की विषयवस्तु को पढ़ने से स्पष्ट है।

13. हमारा संबंध वर्ष 2000 से पहले के कर निर्धारण वर्षों से है, इसलिए 26.7.2000 को जारी अधिसूचना का वर्तमान मामले के तथ्यों से कोई संबंध या अनुप्रयोग

नहीं होगा।

14. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी है कि चूँकि वैक्यूम क्लीनर को प्रविष्टि 81 में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसे बहिष्कृत माना जाना चाहिए। हम उपरोक्त तर्क को इस तथ्य के मद्देनजर स्वीकार नहीं कर सकते कि उक्त प्रविष्टि में शामिल किसी भी विद्युत सामान, उपकरण, उपस्कर का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और यदि उस व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो सभी विद्युत सामानों को बहिष्कृत करना होगा क्योंकि उनका उसमें विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। अधीनस्थ विधान के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय अधिसूचना निर्माताओं का यह इरादा नहीं हो सकता। यदि हम भी ऐसी व्याख्या को स्वीकार करते हैं, तो हमारी राय में, संपूर्ण प्रविष्टि 81 निरर्थक हो जाएगी।

15. विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं अन्य आदि बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य आदि (2000) 6 एससीसी 550 में दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें कंडिका 7 में कहा गया है कि कर कानूनों की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए और कानून में जो कहा गया है, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता। हम इस न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों से सहमत हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। यह कानून की एक स्थापित स्थिति है, लेकिन हमारे अनुसार, हमारे द्वारा दिए गए तर्कों के मद्देनजर, उक्त निर्णय अपीलकर्ता की किसी भी तरह से मदद नहीं करता है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के लिए अभी तक 2000 (119) एसटीसी 460 (पटना) में सूचित यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ का निर्णय, जहां तक की गई बात है, तो यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर भी लागू नहीं होता है क्योंकि यह राय में परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन को फिर से खोलने के मामले से संबंधित है और इसलिए, उक्त मामले का भी कोई अनुप्रयोग नहीं है। इंडियन नेशनल शिपऑनर्स एसोसिएशन, एक कंपनी जिसका पंजीकृत

कार्यालय उसके उप सचिव के माध्यम से है और श्री बद्रीनाथ दुर्वासुला जिसका व्यवसाय स्थल है बनाम भारत संघ (यूओआई) सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अन्य के माध्यम से, 2009 (14) एसटीआर 289 (बम्बई) में सूचित किया गया का निर्णय भी वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

16. हमने अपने निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए अपने कारण बताए हैं और हमारी सुविचारित राय में, उच्च न्यायालय और अन्य सभी प्राधिकारियों द्वारा दिए गए निर्णय सही निर्णय हैं, जिनमें ठोस कारण दर्ज किए गए हैं, और इसलिए, हम उनमें हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

17. अपील में कोई योग्यता नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है, लेकिन पक्षों को अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

याचिका खारिज की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।